



पत्रांक:-BMSIC/JAMUI/ 364

दिनांक:- 19.10.2024

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०)

BMSICL, जमुई।

सेवा में,

Chitranjan kumar Sharma

Ramey, Nardiganj, Nawada.

विषय:- जमुई जिलान्तर्गत सदर जमुई प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरनारायणपुर के भवन निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:-128 दिनांक:- 28.12.2023, 218 दिनांक:- 22.04.2024, 237 दिनांक:- 15.05.2024, 259 दिनांक:- 04.06.2024, 346 दिनांक:- 17.09.2024 तथा प्रबंधक (परि०), BMSICL, जमुई का पत्रांक:- 03 दिनांक:- 11.03.2024

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि जमुई जिलान्तर्गत सदर जमुई प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरनारायणपुर के भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 03.05.2023 को निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 09 माह अर्थात् दिनांक 02.02.2024 तक पूर्ण करना था, परंतु 17 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है एवं कार्य अत्यंत धीमी गति से कराया जा रहा है, जो कि घोर लापरवाही एवं शिथिलता का द्योतक है। जिसके कारण सरकार के जन उपयोगी एवं जन-हित संबंधी इस अति-महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण ससमय पूर्ण नहीं कराया जा सका है। इसके फलस्वरूप प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गई परंतु आपके द्वारा अब तक कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि आपका कार्य के प्रति कोई रुचि न लेने का प्रतीक है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

उपमहाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, जमुई।

ज्ञापक:- BMSIC/JAMUI/ 364

दिनांक:- 19.10.2024

प्रतिलिपि:- सभी उपमहाप्रबंधक (परि०) एवं महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्यमहाप्रबंधक (परि०) BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर Upload किया जाए।

उपमहाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, जमुई।



प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, जमुई।

सेवा में,

Chitranjan kumar Sharma
Ramey, Nardiganj, Nawada.

विषय:- जमुई जिलान्तर्गत सदर जमुई प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरनारायणपुर के भवन निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:-128 दिनांक:- 28.12.2023, 218 दिनांक:- 22.04.2024, 237 दिनांक:- 15.05.2024, 259 दिनांक:- 04.06.2024, 346 दिनांक:- 17.09.2024 तथा प्रबंधक (परि०), BMSICL, जमुई का पत्रांक:- 03 दिनांक:- 11.03.2024

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि जमुई जिलान्तर्गत सदर जमुई प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरनारायणपुर के भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 03.05.2023 को निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 09 माह अर्थात् दिनांक 02.02.2024 तक पूर्ण करना था, परंतु 17 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है एवं कार्य अत्यंत धीमी गति से कराया जा रहा है, जो कि घोर लापरवाही एवं शिथिलता का द्योतक है। जिसके कारण सरकार के जन उपयोगी एवं जन-हित संबंधी इस अति-महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण ससमय पूर्ण नहीं कराया जा सका है। इसके फलस्वरूप प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गई परंतु आपके द्वारा अब तक कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि आपका कार्य के प्रति कोई रुचि न लेने का प्रतीक है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह०/-

उपमहाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, जमुई।

ज्ञापांक:- BMSIC/JAMUI/ 364

दिनांक:- 19.10.2024

प्रतिलिपि:- सभी उपमहाप्रबंधक (परि०) एवं महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्यमहाप्रबंधक (परि०) BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर Upload किया जाए।

उपमहाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, जमुई।



पत्रांक:-BMSIC/JAMUI/ 364

दिनांक:- 19.10.2024

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०)

BMSICL, जमुई।

सेवा में,

Chitranshu kumar Sharma
Ramey, Nardiganj, Nawada.

विषय:- जमुई जिलान्तर्गत सदर जमुई प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरनारायणपुर के भवन निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:-128 दिनांक:- 28.12.2023, 218 दिनांक:- 22.04.2024, 237 दिनांक:- 15.05.2024, 259 दिनांक:- 04.06.2024, 346 दिनांक:- 17.09.2024 तथा प्रबंधक (परि०), BMSICL, जमुई का पत्रांक:- 03 दिनांक:- 11.03.2024

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि जमुई जिलान्तर्गत सदर जमुई प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरनारायणपुर के भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 03.05.2023 को निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 09 माह अर्थात् दिनांक 02.02.2024 तक पूर्ण करना था, परंतु 17 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है एवं कार्य अत्यंत धीमी गति से कराया जा रहा है, जो कि घोर लापरवाही एवं शिथिलता का द्योतक है। जिसके कारण सरकार के जन उपयोगी एवं जन-हित संबंधी इस अति-महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण ससमय पूर्ण नहीं कराया जा सका है। इसके फलस्वरूप प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गई परंतु आपके द्वारा अब तक कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि आपका कार्य के प्रति कोई रुचि न लेने का प्रतीक है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

उपमहाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, जमुई।